संख्या- 94/2016/2907/33-3-2016-320/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2016

विषयः- डा0 भीमराव अम्बेडकरनगर की वर्षगांठ दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को संविधान दिवस के रूप में मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या-**D.O. No.-A-11013/16/2016-Estt.** दिनांक 18.11.2016 दवारा यह अवगत कराया गया है कि 26 नवम्बर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जायेगा, का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 26.11.2016 को डा0 भीमराव अम्बेडकर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में अमूल्य योगदान की गयी सेवाओं तथा आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान के सम्मान के अवसर पर संविधान दिवस के रूप में मनाये जाने के लिए जिला पंचायत,क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायतों एवं स्कूल-कालेज के छात्र-छात्राओं को सम्मिलित करते हुए जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाये, जिसमें भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 18.11.2016 में इंगित कतिपय गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी।

अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में दिनांक 26.11.2016 को डा0 भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाये जाने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 18.11.2016 की छायाप्रति संलग्नकर भेजते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार उक्त में बिन्दु **(1) Reading Preamble & Fundamentle Duties (Article 51.A, Part IV-A) of the Constitution; (2) Organizing Mock Parliament; (3) Essay/debate Competitions and lectures on Indian Constitution.** पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना सीधे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 07.12.2016 तक भेजते हुए उसकी अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृपया उक्त निर्देश का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- संयुक्त सचिव,पंचायतीराज मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या- D.O. No.-A-11013/16/2016-Estt दिनांक 18.11.2016 के सन्दर्भ में।

2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।

7- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

http://Shasnadeshup.nic.in